सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक–533/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026, दिनांक– 10–07–2026

सेवा में,

1. **प्राचार्य/प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धर्थनगर।
2. **समन्यवक, एन0एस0एस0**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– वर्ष 2026–27 में 35 करोड़ पौधो का रोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–I/1390749/2026/सत्तर–3–2026–1945996 दिनांक 09–07–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (पत्र संलग्न) जिसके द्वारा शासन के पत्र के क्रम में अवगत कराया गया है कि वर्ष 2026–27 में 35 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वृक्षारोपण महायज्ञ–2026 के अन्तर्गत वृदि वृक्षारोपण की तिथि दिनांक 12–07–2026 निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में दिनांक 06 जुलाई, 2026 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 को समस्त विभागों, कर्मियों, संस्थाओं, नागरिक संगठनों, आम नागरिकों इत्यादि की वृहद सहभागिता के साथ संचालित किये जाने का आह्वान किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में सलग्न पत्र में दिये गये कतिपय निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्र के अनुसार विषयगत प्रकरण में दिये गये कतिपय दिशा–निर्देशों का कड़ई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम की विडियोंग्राफी व जियोटैगिंग फोटोग्राफी कराना सुनिश्चित करें, जिससे मांगे जाने पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाएं। जिससे शासन को समयान्तर्गत उक्त से अवगत कराया जा सकें।

संलग्नक– यथोपरि।

10/07/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– /तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त अधिष्ठाता, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, प्रभारी एवं शिक्षकगण, को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से वृक्षारोपण दिनांक 12–07–2026 में छात्र–छात्राओं को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें।
4. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

महत्वपूर्ण

संख्या- I/1390749/2026 /सत्तर-3-2026- 1945996

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक:09-07-2026

विषय:- वर्ष 2026-2027 में 35 करोड़ पौधों का रोपण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- -309/81-5-2026/2052619,दिनांक 15.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि वर्ष 2026-2027 में 35 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 15.50 करोड़ पौधों का रोपण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा 19.50 करोड़ पौधों का रोपण अन्य सहयोगी विभागों द्वारा किया जाना है। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत निर्धारित 35 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु वृहद वृक्षारोपण की तिथि दिनांक 12 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में दिनांक 6 जुलाई, 2026 को मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 को समस्त विभागों, कर्मियों, संस्थाओं, नागरिक संगठनों, आम नागरिकों इत्यादि की वृहद सहभागिता के साथ संचालित किए जाने का आह्वान किया गया है।

2- उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये कतिपय निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में दिये गये कतिपय दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 09-07-2026
18:52:51

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

Kamlesh
10/07/26

महत्वपूर्ण

संख्या- 309/81-5-2026/2052619

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/ प्रभागीय निदेशक।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 दिनांकः लखनऊ 08 जुलाई, 2026

विषय : वर्ष 2026-2027 में 35 करोड़ पौधों का रोपण।

महोदया/ महोदय,

वर्ष 2026-2027 में 35 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 15.50 करोड़ पौधों का रोपण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा 19.50 करोड़ पौधों का रोपण अन्य सहयोगी विभागों द्वारा किया जाना है। वृक्षारोपण महायज्ञ - 2026 के तहत निर्धारित 35 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु वृहद वृक्षारोपण की तिथि दिनांक 12 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है।

2- इस सम्बन्ध में दिनांक 6 जुलाई, 2026 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में वृक्षारोपण महायज्ञ - 2026 को समस्त विभागों, कर्मियों, संस्थाओं, नागरिक संगठनों, आम नागरिकों इत्यादि की वृहद सहभागिता के साथ संचालित किए जाने का आह्वान किया गया है।

3- आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 12 जुलाई, 2026 को प्रदेश में एक ही दिन 35 करोड़ पौधारोपण कार्यक्रम का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जनपद में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराएं:-

1. सम्पूर्ण राज्य में उक्त दिन व्यापक जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण को हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में किया जाए।
2. जनपद में जिला वृक्षारोपण समिति की तत्काल पुनः बैठक कर जनपद हेतु निर्धारित पौधारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीति तथा तैयारी की समीक्षा की जाए।
3. जनपद में वन विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा वृक्षारोपण हेतु तैयार किए गए विभिन्न स्थलों का जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराकर दिनांक 12 जुलाई, 2026 को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण सुनिश्चित कराया जाए।
4. जनपद में विभिन्न प्रकार के पौधारोपण जैसे वन्देमातरम वाटिका, महर्षि चरक औषधीय वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, नदी पुनरोद्धार हेतु नदियों के कैचमेण्ट

में अविरल धारा वृक्षारोपण, मिशन छाया, पौराणिक वन, ऐक्सप्रैस-वे के किनारे वृक्षारोपण तथा आम भण्डारा व सहजन पौध भण्डारा, भाई-बहन वृक्षारोपण, एक पेड़ गुरू के नाम वृक्षारोपण आदि के आयोजन के सम्बन्ध मे की गई तैयारी की समीक्षा की जाए।

5. वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों यथा मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 महापौर/ अध्यक्ष नगरीय निकाय एवं सभी पार्षद/ सभासद, मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत एवं सभी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यगण का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
6. समस्त सरकारी/ गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, National Cadet Corps (एन0सी0सी0), National Service Scheme (एन0एस0एस0), नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, Rotary/ Rotaract/ Lions Club/ Eco Club, सभी व्यापार मण्डल, किसान उत्पादक संगठन (FPO) आदि की प्रतिभागिता के साथ व्यापक सक्रिय जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जाए।
7. दिनांक 12 जुलाई, 2026 (प्रातः 07:00 **बजे से सायं** 06:00 **बजे तक अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित समयानुसार**) को पौधारोपण के दौरान वृक्षारोपण हेतु आयोजित वृहद कार्यक्रम में प्रदेश के अधिकाधिक नागरिकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।
8. समस्त विभाग, सार्वजनिक उद्यम, निगम, बोर्ड आदि यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग/ संस्था के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी कम से कम एक पौधे का रोपण कर इसकी सुरक्षा का संकल्प लें। इस हेतु सार्वजनिक उद्यम, निगम, बोर्ड आदि के राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्षों के माध्यम से यथा आवश्यकता वृक्षारोपण की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करा ली जाए।
9. अभियान में मा0 उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों, अधिवक्ताओं, रेलवे, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, विद्यार्थियों, किसानों आदि की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
10. रोपित पौध/ पौध स्थल की सुरक्षा व्यवस्था एवं जियोटैगिंग कराकर समस्त पौधारोपण की स्थलीय समीक्षा Digital माध्यम से कराने में सहयोग प्रदान किया जाए।

4- उक्त के अतिरिक्त वृक्षारोपण महायज्ञ - 2026 को व्यापक जनसहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संचालन हेतु दिए गए निम्न निर्देशों का भी अनुपालन कराया जाए:-

1. कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा समय से सारी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।
2. मा0 मंत्री जी/ जनपद के प्रभारी मंत्री जी द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु उचित क्षेत्र स्थल का चयन पूर्व से ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कर लिया जाए, जिसमें वृक्षारोपण के पश्चात् रोपित पौधों की समुचित सुरक्षा एवं देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उक्त स्थल पर वृक्षारोपण समारोह के आयोजन हेतु जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए।

3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त कृषकों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा पौधारोपण अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिसके लिए जिला कृषि अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

4. जनपद स्तर पर वन विभाग के नियन्त्रण में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जाए, जिसे 24x7 रूप में क्रियाशील रखा जाए। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए, जिससे वृक्षारोपण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिज्ञासा व समस्या का त्वरित निराकरण हो सके।

5. वृक्षारोपण कार्यक्रम को निर्वाचन की तरह इलैक्शन मोड में कराने हेतु जनपद को सैक्टर व जोन में विभाजित कर सैक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए।

6. जनपद का मास्टर प्लान तैयार किया जाए, जिसमें स्थलवार प्रतिभाग करने वाले जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाएं/ विभाग आदि के विवरण के साथ नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक पौध ढुलान का विस्तृत विवरण व उक्त से सम्बन्धित लॉजिस्टिक का विवरण सम्मिलित हो।

7. दिनांक 12 जुलाई, 2026 को एक ही दिन 35.00 करोड़ पौधारोपण के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु सभी कार्यालय, सभी विद्यालय तथा अन्य संस्थाएं वृक्षारोपण के कार्य में सहयोग दें। इस हेतु समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष विभिन्न वृक्षारोपण स्थलों के अनुश्रवण हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें।

8. वृक्षारोपण से पूर्व समस्त शिक्षण संस्थानों में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में समस्त छात्रों को जानकारी प्रदान की जाए।

9. विभाग उनको आवण्टित लक्ष्य के सापेक्ष कराए गए वृक्षारोपण की सिंचाई एवं सुरक्षा हेतु स्वयं जिम्मेदार होंगे।

10. वृक्षारोपण कार्यक्रम के वृहद प्रचार-प्रसार हेतु जिला सूचना अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

11. वृक्षारोपण अभियान में भारत सरकार के विभागों/ संस्थाओं को जोड़ते हुए उनका पूरा सहयोग लिया जाए।

12. प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत आयोजित समस्त कार्यक्रमों का डिजिटल, सोशल, प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाए। सूचना एवं प्रसारण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वृक्षारोपण महायज्ञ - 2026 तथा ''एक पेड़ माँ के नाम'' के वृहद् प्रचार-प्रसार हेतु लघु फिल्म, रेडियो जिंगल आदि तैयार कर इनको वृहद् रूप से प्रसारित कराया जाए तथा प्रत्येक जनपद के महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में होर्डिंग/ एल0ई0डी स्क्रीन/ बैनर आदि लगवाना सुनिश्चित किया जाए।

5- वृक्षारोपण महायज्ञ - 2026 के अन्तर्गत समस्त वृक्षारोपण 'एक पेड़ माँ के नाम' थीम के अन्तर्गत कराया जाए। अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक रोपित पौध को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए आह्वान 'एक पेड़ माँ के नाम' को समर्पित करते हुए कार्यवाही की जाए।

6- निर्धारित तिथि पर वृक्षारोपण एवं पौध रोपण की Photo Capture/ सैल्फी वन एवं वन्य जीव विभाग के पोर्टल http://upfdgeo tagging.in अथवा http://upfd.in/ UPFDmedia/ secure/ login/ login.aspx पर अपलोड की जाएं।

7- इस वृक्षारोपण अभियान के सफलतापूर्वक संचालन हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग के मुख्यालय पर स्थित कमाण्ड सैण्टर में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से जिला मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम से प्राप्त समस्त सूचनाओं अर्थात् समीक्षा रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स, वीडिओज़, वृक्षारोपण की प्रगति इत्यादि से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं प्राप्त कर संकलित की जाएंगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(एस0पी0 गोयल)
मुख्य सचिव

संख्या/ दिनांक तदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, गृह/ ग्राम्य विकास/ पंचायतीराज/ राजस्व/ आवास एवं शहरी नियोजन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ नगर विकास/ लोक निर्माण/ जल शक्ति/ रेशम/ कृषि/ पशुपालन/ सहकारिता/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/ ऊर्जा/ माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ श्रम/ चिकित्सा स्वास्थ्य/ चिकित्सा शिक्षा/ परिवहन/ उद्यान विभाग को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूर्ण कराए।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. हैडक्वार्टर, सैण्ट्रल कमाण्ड, रक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।
5. Divisional Railway Manager (डी0आर0एम0), Northern Railway (एन0आर0) एवं North Eastern Railway (एन0ई0आर0), रेलवे विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।
8. समस्त जोनल/ मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।
9. समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)।
10. गार्ड फाईल।

(वी0 हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव